–:प्रेस नोट:–

दिनांक 08.07.2021

पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद बांदा।

चाचा, चाची ने की थी मासूम की हत्या, चचेरी बहन भी थी घटना में शामिल। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा तीनों को किया गिरफ्तारा।

विगत दिनांक 05.07.02021 को थाना कोतवाली नगर में श्रीमती माया देवी पत्नी स्व0 चुन्नू वर्मा निवासी चमरौड़ी चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा सूचना दिया कि मेरी पुत्री आरती उम्र 05 वर्ष कही खेलते–खेलते चली गयी, खोजबीन की पड़ोसियों से पता भी किया किन्तु वह नही मिल रही है। सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 428/21 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया तथा बच्ची की तलाश की गयी। सूचना के आधार पर देर रात भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया तथा मौके पर डॉक स्वॉट टीम, फील्डयूनिट फॉरेंसिक टीम पहुंच गयी पुलिस के बढते दबाव को देखकर अभियुक्तों द्वारा बच्ची का शव बाहर रख दिया गया था। शव मिलने के उपरान्त पंचायातानामा भर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गयी थी। बच्ची के चाचा, चाची व उनकी पुत्री को हिरासत में लिया गया था। पूछतांछ के दौरान अभियुक्त व अभियुक्ताओं द्वारा बच्ची की मर्डर करने की वजह व घटना को अन्जाम देने का तरीका बताया, तीनों अभियुक्तों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए मृतक बच्ची के पिता स्व0 चुन्नू वर्मा द्वारा चमरौड़ी चौराहा पर अभियुक्त मूलचन्द्र रैदास पुत्र भवानीदीन निवासी परशुराम तालाब चमरौड़ी थाना कोतवाली नगर को कहा सुनी में मारपीट दिया था उसी रंजिश को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में किये गये अपराध की धाराओं में बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त पति, पत्नी व उनकी पुत्री को जेल भेजने की कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः–

1. प्रभारी निरीक्षक भास्कर मिश्रा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. आरक्षी राजेश कुमार मौर्य थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. आरक्षी राकेश तोमर थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
4. म0आ0 पूजारावत थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

1. मूलचन्द्र रैदास पुत्र भवानीदीन निवासी परशुराम तालाब चमरौड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. श्रीमती रानी पत्नी मूलचन्द्र रैदास निवासी परशुराम तालाब चमरौड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. कान्ती पुत्री मूलचन्द्र रैदास निवासी परशुराम तालाब चमरौड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।